



2026: AHC: 126325

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 15190 वर्ष 2026

शोएब उर्फ सोयबा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : पंकज भारती

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, पवन कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 4

माननीय डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति

- वर्तमान दांडिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मु.अ.सं. 759/2025, अंतर्गत धारा 103(1), 238(क), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना कैराना, जिला शामली में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फर्जी ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने कथित अपराध कारित नहीं किया है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व, ग्राम प्रधान हारून द्वारा पुलिस थाना कैराना को दूरभाष (फोन) के माध्यम से ग्राम बराला के जंगल में ईंट भट्ठे के सामने स्थित अंकुर पुत्र पवन के गन्ने के खेत में एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना दी गई थी, जिसे दिनांक 03.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे रोजनामचा आम में रोजनामचा प्रविष्टि संख्या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



024 के रूप में दर्ज किया गया था। तदुपरांत, इस सूचना पर पुलिस थाना कैराना की पुलिस घटना स्थल पर पंचनामा की कार्यवाही के लिए रवाना हुई। यह कथित है कि मृतक की जामा-तलाशी (व्यक्तिगत तलाशी) के दौरान उसकी जेब से उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुआ, जिससे उसकी पहचान परवेज पुत्र हाशिम के रूप में हुई। इसके बाद उसकी मृत्यु की सूचना उसके परिजनों को दी गई, जो घटना स्थल पर पहुँचे और पंचनामे की कार्यवाही में सम्मिलित हुए। मृतक के शव का अंत्यपरीक्षण (पोस्टमार्टम) दिनांक 03.12.2025 को अपराह्न 04.05 बजे से अपराह्न 04.55 बजे के मध्य किया गया था। अंत्यपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के सीने के बाईं ओर बंदूक की गोली का एक प्रवेश घाव आया था। मृत्यु की अवधि लगभग 06 से 12 घंटे पूर्व बताई गई थी और मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमा बताया गया था। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मृतक परवेज का छोटा भाई अरमान (प्रथम सूचनाकर्ता), चचेरा भाई सादिक, भतीजा जावेद और चाचा तसव्वर तथा याविद पंचनामे के समय भली-भांति उपस्थित थे और पंचनामे की कार्यवाही के साक्षी भी बने थे, परंतु उन्होंने किसी के भी विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच-विचार करने के पश्चात दिनांक 03.12.2025 को रात्रि 20.36 बजे वर्तमान आवेदक तथा सह-अभियुक्त आसिफ एवं दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का मामला है, जिसमें परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से टूटी हुई है। संपूर्ण विवेचना (जांच) के दौरान पुलिस आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी अकाट्य/ठोस साक्ष्य एकत्र करने में विफल रही। पुनः उनका कथन है कि आवेदक की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अधिरोपित करेगा। आवेदक निर्दोष है तथा वह इस प्रकरण में दिनांक 04.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है। इसलिए, आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाय।

4. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त की जमानत का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले के सह-अभियुक्त के भाई जब्बार का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया कि उसने घटना से तीन दिन पूर्व अभियुक्त को मृतक के साथ देखा था। इससे अभियुक्त की भूमिका परिलक्षित होती है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृति का है, इसलिए अभियुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं परिस्थितियों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृति और किसी भी ठोस विरोधात्मक सामग्री की अनुपस्थिति एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।
6. अतः वाद के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए हुए आवेदक को उपरोक्त वर्णित अपराध में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं भारी धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ दिया जायः
 1. आवेदक विवेचना या परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 2. आवेदक अभियोजन साक्षियों व पीड़िता/शिकायतकर्ता को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।
 3. आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 4. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा न कोई आपराधिक कृत्य करेगा।
 5. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से विरत रहना पड़े।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय आवेदक की जमानत नियमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(डॉ गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

जून 9, 2026

सीपी साहनी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।